

रा.पुनरीक्षण याचिका क्र
श्रवण दिनांक

R-292-PBR-17

श्रीमान न्यायालय

एडवाकेट जनरल

13.12.17 को

53/1

Q

1. मोहिनउद्दीन पिता सैयद मुनीर निवासी ग्राम मोहद तहसील व
जिला बुरहानपुर म.प्र.

— याचिकाकर्ता/अनावेदक क्र 1
विरुद्ध

1. हफीजा बेगम पति इसामुद्दीन मास्टर पुत्री सैयद मुनीर निवासी
ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगाँव महाराष्ट्र

— उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त
शाहपुर जिला बुरहानपुर के रा.प्र.क्र 81-अ/06 सन 2015-16
(हफीजा बेगम वि मोहीनउद्दीन) मे पारित आदेश दिनांक 13.12.2016
से दुखी एवं पीडित होकर उक्त आदेश की वैधता एवं औचित्यता के
संबंध मे यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

f-22.217



R292/mr/17

18.4.2017

अनुसूची

Noted
18/04/17

आवेदन की ओर से श्री शब्रम शर्मा अभिभाषक उपाध्यक्ष।
 गुरुप्रताप पुत्रा गंगा। नायब
 तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.12.16
 की सत्य परिधि का अवलोकन
 किया गया। नायब तहसीलदार
 द्वारा दिखाया गया रिजर्व प्रथम
 दृष्टया कोई खेत है कि
 आवेदन द्वारा केवल प्रस्तावित सम्पत्ति
 जुबानी बारीश से प्राप्त होना
 जतना एका है, परन्तु इस सम्पत्ति
 में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया
 गया है, और गैर-ही आवेदन फर्मा
 में मौखिक बारीश कहां, कब
 और किसके सामने हुई, इसका
 स्पष्टीकरण नहीं है। अतः
 उपरोक्त रिजर्व के परिधि
 में तहसीलदार द्वारा आवेदन फर्मा
 निरस्त करने में कोई गड़बड़ी
 की गई है। अतः रिजर्व की
 आधारहीन होने से अज्ञान की
 जाती है।

अध्यक्ष